7

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनन अनुभाग)

पत्रांक 70/तीन-उपखनिज/2017 **ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना।** दिनांक 09-05-17

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद चन्दौली में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–715/86–2017–57(स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेन्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध कुल 05 खनन क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा दिनांक 19-05-2017 के 06.00PM बजे तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1.क्षेत्रों का विवरणः–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा सं/खण्ड सं0	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाएं				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार
					उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सकलडीहा	शेरपुर सरैयां खण्ड 1/2	नया गाटा न0–2 आंशिक पुराना गाटा न0–196	10.00	आ0सं0 का शेष भाग बाद गंगा नदी	आ0सं0 का शेष भाग	आ0सं0 का शेष भाग खण्ड–2	आ0सं0 का शेष भाग खण्ड 1/1 बाद सीमा ग्राम–भुसौला	साधारण बालू	121410 घ0मी0
2.	सकलडीहा	पुराविजयी खण्ड–6/1	नया गाटा न0–2 आंशिक पुराना गाटा न0–258	10.00	आ0सं0 का शेष भाग बाद गंगा नदी	परिवहन हेतु मार्ग बाद काश्त भूमि	आ0सं0 का शेष भाग	आ0सं0 का शेष भाग खण्ड–7	साधारण बालू	121410 घ0मी0
3.	सकलडीहा	हसनपुर खण्ड 2/2	नया गाटा न0–2 आंशिक पुराना गाटा न0–214	10.00	आ0सं0 का शेष भाग बाद गंगा नदी	परिवहन हेतु मार्ग बाद आ0सं0 का शेष भाग	आ0सं0 का शेष भाग	खण्ड 2/1 ग्राम–हसनपुर	साधारण बालू	121410 घ0मी0
4.	सकलडीहा	बड़गांवा 1/2	नया गाटा न0–7 आंशिक पुराना गाटा न0–181	10.00	आ0सं0 का शेष भाग बाद गंगा नदी	आ0सं0 का शेष भाग	खण्ड–2 आ0सं0 का शेष भाग	खण्ड 1/1 बाद सीमा ग्राम शेरपुर सरैयां	साधारण बालू	121410 घ0मी0
5.	सकलडीहा	भुसौला खण्ड 8/2	नया गाटा न0– 4 आंशिक पुराना गाटा न0–275	10.00	आ0सं0 का शेष भाग बाद गंगा नदी	आ0सं0 का शेष भाग	खण्ड–9 बाद सीमा ग्राम शेरपुर सरैयां	खण्ड 8/1 बाद आ0सं0 का शेष भाग	साधारण बालू	121410 घ0मी0

2. खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 06 माह की होगी जिसमें मानसून सत्र (दिनांक 01–07–2017 से 30–09–2017) में खनन नही किया जायेगा। बाधित अवधि के कारण 06 माह अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नही होगा।

3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
ख. विज्ञप्ति क्षेत्र का क्रमांक।
ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एंव मोबाईल न0।
घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न होः–

उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
क्षेत्रफल (एकड़ में)।
विज्ञप्ति में दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा।

ड़ निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पत (स्थायी और वर्तमान) ई मेल एवं मोबाईल न0। (पता प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।
च. खनिज के प्रति घ0मी0 के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।
छ. खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में जहॉ वह खनन क्षेत्र स्थित है का अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
झ. उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
ञ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक 19-05-2017 तक ई टेन्डर पोर्टल http:/etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5. यू0पी0 ईलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेन्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नाकिंत कार्यवाही करनी होगीः–